आधार आधारित आवेदन करने के लिये महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर शहर के निवासियों के लिए प्राधिकरण की संचालित सभी ऑनलाईन सेवाये जैसे–की लीजडीड, फ्री–होल्ड लीजडीड, नाम हस्तान्तरण, उपविभाजन एवं पुनगर्ठन इत्यादि सेवाओं में आधार नम्बर के द्वारा ई–के.वाई.सी. करने से ऑनलाईन आवेदन किया जा सकेगा।

जयपुर विकास प्राधिकरण की ऑनलाईन सेवाओं के लिये निवासी अब स्वयं के स्तर से अथवा ई–मित्र पर जाकर आधार कार्ड में दर्शित आवेदक एवं गवाह के नाम, पिता का नाम, पता एवं फोटो स्वतः ही आवेदन पत्र में प्रद्वर्शित हो जायेगा। इसके लिए आवेदक/गवाह को केवल अपना स्वयं का आधार नम्बर दर्ज करना होगा।

आधार नम्बर दर्ज करने पर आवेदक को दो विकल्प प्राप्त होगा–
प्रथम विकल्प (ओटीपी)–आधार रजिस्ट्रर्ड मोबाईल नम्बर पर एक ओ.टी.पी. प्राप्त होगा।
द्वितीय विकल्प (चेहरा प्रमाणीकरण)– आवेदक एवं गवाह के मोबाईल का उपयोग करके आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूर्ण करना। उक्त विकल्प के लिये प्ले एवं ऐप्पल स्टोर से मोबाईल ऐप डाउनलोड का लिंक निम्नानुसार है:–

Play Store Link:-

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gov.doitc.genericfacerd&pcampaignid=web_share

Apple Store Link:-

https://apps.apple.com/in/app/doit-c-faceauthentication/id6737118060

दोनो विकल्प के माध्यम से आवेदक एवं गवाह के नाम, पिता का नाम, पता एवं फोटो की जानकारी आवेदन पत्र में स्वतः प्रद्वर्शित हो जायेगी।

नोटः–

1. **प्रथम विकल्प की सुविधा आधार बेस रजिस्ट्रर्ड मोबाईल नम्बर पर ओ.टी.पी. प्राप्त की सुविधा दिनांक 19.08.2025 तक के लिये ही उपलब्ध करायी जा रही है।**
2. **दिनांक 20.08.2025 से केवल ओर केवल द्वितीय विकल्प (चेहरा प्रमाणीकरण) मोबाईल का उपयोग करके आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण प्रक्रिया ही जविप्रा द्वारा उपयोग में ली जावेगी। आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण प्रक्रिया के लिए मोबाईल ऐप का लिंक ऊपर दर्शित है।**

इस प्रक्रिया से प्राधिकरण की संचालित सभी ऑनलाईन सेवाओं के आवेदन पत्र की प्रक्रिया सरल व सुरक्षित हो जायेगी तथा आवेदक एवं गवाह को भौतिक सत्यापन के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण परिसर में आने की आवश्यकता समाप्त हो जायेगी।

यदि आवेदक एवं गवाह के आधार कार्ड में किसी प्रकार का कोई संशोधन है, तो आवेदक से निवेदन है कि वह सर्वप्रथम आधार सेन्टर में जाकर आधार कार्ड में संशोधन करावें। जिससे आवेदक जयपुर विकास प्राधिकरण की ऑनलाईन सेवाओं में त्रृटिरहित आवेदन कर सकें।